न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूड , आर.ए.एस.

प्रार्थी – बनाम अप्रार्थी :–

मोहनलाल पुत्र स्व जगनाथ
जाति ब्राहम्ण (बागडा) नि परबतसर

तहसीलदार
पबरतसर

प्रार्थना पत्र बाबत – अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट।

उपस्थित – श्री श्यामनिरंजन बोहरा अधिवक्ता प्रार्थी
श्री राजेश कुमार मीणा राजपैरोकार अप्रार्थी

मुकदमा नम्बर – 60 / 2018 निर्णय दिनांक 14.02.2020

निर्णय

1 यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा 136 भु–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया गया है जिसके तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे कास्त की कृषि भूमि परबतसर कस्बे की राजस्व सीमा में आयी हुई है जिसके खसरा नम्बर 825 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गैर मुमकिन कुंआ तथा खसरा नम्बर 826 रकबा 5.1679 हैक्टेयर किस्म बारानी 3 है जिसके पुराने खसरा नम्बर 825 के खसरा नम्बर 610 व खसरा नम्बर 826 के खसरा नम्बर 610 मिन व खसरा नम्बर 612 है प्रार्थी के कृषि भूमि के पुराने खसरा नम्बर 610 मिन व 612 के बीच पूर्व में राजस्व रेकर्ड के नक्शा ट्रेस मे एक मार्ग दर्शाया गया था यह मार्ग आगे के खसरा नम्बर 584, खसरा नम्बर 614, खसरा नम्बर 583 व खसरा नम्बर 613, खसरा नम्बर 582, खसरा नम्बर 623 के बीच दर्शाया गया था इन खसरा नम्बर के नये खसरा नम्बर 584 व 614 के खसरा नम्बर 829, खसरा नम्बर 583 व 613 के खसरा नम्बर 830, खसरा नम्बर 582 व 623 के खसरा नम्बर 843 तथा खसरा नम्बर 610 मिन व 612 के खसरा नम्बर 826 है परन्तु यह मार्ग नक्शे मे दर्शित स्थान पर सेटलमेन्ट के पूर्व से ही मौके पर कभी भी नही रहा है मौके पर वास्तविकता मे जो मार्ग आवागमन हेतु चलता रहा है व ट्रेस नक्शा के नजरी नक्शा परिशिष्ठ (अ) मे ए.बी.सी.डी मार्क से दर्शित स्थान पर चलता रहा है जो प्रार्थी तथा अन्य खातेदारान की भूमी में चलता रहा है तथा मार्क क,ख,ग से दर्शित किया गया मार्ग कभी भी मौके पर स्थित नही रहा है नजरी नक्शा परिशिष्ठ (अ) प्रार्थना–पत्र का भाग है प्रार्थी तथा प्रार्थी के पड़ौस के अन्य खातेदारान ने चालु वास्तविक मार्ग के लिये अपने खातेदारी के खेतो

Scanned by CamScanner

की भूमि का समर्पण राज्य सरकार के पक्ष मे दिनाक 13 / 09 / 2010 को किया है जो खसरा नम्बर 612 मे से 10 x 3 गठ्ठा = 30 गठ्ठा, खसरा नम्बर 584 में से 70 x 3 गठ्ठा = 210 गठ्ठा, खसरा नम्बर 583 में से 86 x 3 गठ्ठा = 258 गठ्ठा, खसरा नम्बर 582 में से 102 x 3 गठ्ठा = 306 गठ्ठा, खसरा नम्बर 580 / 3 में से 136 x 3 गठ्ठा = 408 गठ्ठा किया है प्रार्थी तथा अन्य खातेदारान द्वारा समर्पण की गयी भूमि को राज्य सरकार की और से तहसीलदार परबतसर ने समर्पण पत्र तस्दीक कर स्वीकार कर समर्पण के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिनांक 13 / 09 / 2010 को दे दिया था तथा तहरीर पटवारी को जारी कर दी गयी थी इसका नामान्तरण करण संख्या 4260 / 2010 दिनांक 23 / 09 / 2010 को स्वीकार किया गया है तथा प्रार्थी द्वारा सरेण्डर भूमि के खसरा नम्बर 612 / 1 अंकित किये गये थे लेकिन नामान्तरण करण पंजिका के पुस्त पर नजरी नक्शे में पटवारी ने त्रुटि से पश्चिम दिशा मे सरेण्डर सुदा मार्ग 612 / 1 उत्तर दिशा में अंकित कर दिया। जिससे अभी सेटलमेन्ट के समय कर्मचारियों ने समर्पण किये गये मार्ग को जहाँ समर्पण किया गया वहाँ नक्शा ट्रेस मे अंकित नहीं करके गलत तरीके से अंकित कर दिया है तथा नक्शे मे खसरा नम्बर 612 मे से 11 मीटर भूमि उत्तरी पश्चिमी कूंट पर नक्शे मे कम कर दी है तथा खसरा नम्बर 610 मे से 3 मीटर भूमि उत्तरी पूर्वी कूंट पर नक्शे मे कम कर दी है तथा खसरा नम्बर 612 की पश्चिमी सींव पर रास्ते हेतु समर्पण की गयी भूमि 10 x 3 गठ्ठा कुल 30 गठ्ठा को खसरा नम्बर 612 के पश्चिमी सींव पर अंकित नही किया है तथा नजरी नक्शा परिशिष्ठ (ब) मे एक्स से वाई स्थान पर गलत तरीके से अंकित कर दिया है खसरा नम्बर 612 व 610 के नये खसरा नम्बर 826 है इस प्रकार नजरी नक्शा परिशिष्ठ (ब) मे मार्क 3 व 4 से दर्शित स्थान पर 11 मीटर भूमि खसरा नम्बर 826 की भूमि है तथा मार्क 5 व 6 से दर्शित भूमि 826 की 3 मीटर भूमि है जो नक्शा ट्रेस मे कम अंकित की गयी है जिसको नक्शा ट्रेस मे सही अंकित किया जाना अति आवश्यक है सेटलमेन्ट कर्मचारियों तथा रेवन्यु कर्मचारियों द्वारा की गयी त्रुटी के शुद्धिकरण हेतु निवेदन किया है।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 29.01.2020 को पेश कर निवेदन किया हैं कि सेटलमेन्ट से पूर्व के उपलब्ध नक्शे के अनुसार खसरा नम्बर 584 व 614, 583 व 613, 582 व 623 और 610 मिन व 612 के मध्य कटाणी

Scanned by CamScanner

रास्ता खसरा नम्बर 613 अंकित था सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट के द्वारा पुराने खसरा नम्बर 613 की तरमीम वर्तमान खसरा नम्बर 828 कर दी है जो मौके पर चालु है नजरी नक्शा परिशिष्ठ (ब) मे X, Y तक रास्ता बन्द है जिसकी धारा 91 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा राजस्व नक्शा/भु–प्रबन्धक शीट मे समर्पण की कोई तरमीम अमल दरामद नही है जबकी जमाबन्दी सम्वत् 2058–61 के खाता संख्या 118 मे समर्पण नामान्तरण का नामान्तरण क्रम संख्या 4260 द्वारा रास्ते हेतु 612/1 रकबा 0.01 बीघा सिवायचक में दर्ज हुआ था जिसका न ही नये नम्बर मिले, न ही नक्शे मे इस नम्बर की तरमीम की गयी तथा नक्शा परिशिष्ठ (अ) में रास्ता ख,ग से दर्शित रास्ता के स्थान पर सेटलमेन्ट द्वारा नजरी नक्शा परिशिष्ठ (ब) में दर्शित X, Y अंकित किया गया है वर्तमान नक्शा में सेटलमेन्ट द्वारा खसरा नम्बर 613 (पुराना) के स्थान पर नया नक्शा मे खसरा नम्बर 828 की तरमीम की गयी है।

3. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र के साथ नक्शा ट्रेस पुराना, नक्शा ट्रेस वर्तमान की प्रमाणित प्रति, समर्पणनामा मय नक्शा की प्रमाणित प्रति, खसरा नम्बर 825 व 826 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति, खसरा मिलान की प्रमाणित प्रति, नामान्तरण करण पंजिका नामान्तरण संख्या 4260/2010, फर्द सीमाज्ञान दिनांक 28/06/2017 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गयी है तथा अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब के साथ खसरा मिलान क्षेत्रफल, पटवारी रिपोर्ट, जमाबन्दी खसरा नम्बर 825 व 826, नक्शा नजरी ट्रेस परिशिष्ठ (ब) की फोटो प्रति, नक्शा परिशिष्ठ (अ) की फोटो प्रति, खतौनी खसरा नम्बर 827 गै.मु.ढाणी व खसरा नम्बर 828 गै.मु. रास्ता प्रस्तुत की गयी है।

4. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया। रास्ता खसरा नम्बर 828 को दिनांक 13/09/2010 को किये गये सरेण्डरनामा के आधार पर बनाये गये नक्शे के अनुरूप तरमीम नये नक्शे मे सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने किया है प्रस्तुत दस्तावेजात में पुराने राजस्व नक्शा ट्रेस तथा वर्तमान नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने पर पाया गया की गै.मु. रास्ता खसरा नम्बर 613 जो पुराने नक्शे मे खसरा नम्बर 612 व 610, खसरा नम्बर 584 व 614, खसरा नम्बर 583 व 613, खसरा नम्बर 582 व 623 के बीच अंकित है जो नये नक्शा ट्रेस मे इस स्थान पर अंकित नही है तथा नये नक्शे मे रास्ता खसरा नम्बर 828 नये खसरा नम्बर 843 की उत्तरी सींव पर, खसरा नम्बर 830 की उत्तरी सींव पर, खसरा नम्बर 829 की उत्तरी सींव पर तथा खसरा नम्बर 826 की उत्तरी सींव पर अंकित है प्रार्थना–पत्र के साथ

14/2/2020
उप खण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत समर्पण पत्र मय नक्शा की प्रमाणित प्रति का अवलोकन करने पर पाया गया की समर्पण पत्र के द्वारा प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 612 के पश्चिम सींव पर 10 X 3 गट्ठा रास्ते का समर्पण किया गया है खसरा नम्बर 612 के उत्तर दिशा मे कोई रास्ता समर्पण नही किया गया है राजस्व कर्मचारियों ने गलती से खसरा नम्बर 612 के पश्चिमी सींव पर रास्ता अंकित नही कर उत्तरी दिशा मे अंकित किया है जो प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा परिशिष्ठ (ब) मे X से Y स्थान पर दर्शित किया गया है यह रास्ता मौके पर पुर्व मे नही रहा है न ही कभी उपयोग मे आया है एवं दिनांक 28 / 06 / 2017 को निरिक्षक भू–अभिलेख परबतसर द्वारा फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट मे भी वर्णीत किया है कि खसरा नम्बर 826 के पश्चिम मे रास्ता मौके पर स्थित है और चालू बताया है तथा उत्तरी तरफ का रास्ता मौके पर स्थित होना व चालू होना नही बताया है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटो ग्राफ से भी रास्ता मौके पर खसरा नम्बर 826 के पश्चिम मे स्पष्ट तौर पर दर्शित हो रहा है राजस्व कर्मचारियों द्वारा नक्शा ट्रेस मे जो गलती की गयी है उसका कारण सरेण्डरनामा के आधार पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 13 / 09 / 2010 को आदेश देकर सरेण्डरनामे के अनुसार रास्ता कायम करने की तहरीर पटवारी को जारी की थी उस तहरीर पर पटवारी द्वारा सरेण्डरसुदा भूमि का नामान्तरणकरण दर्ज किया गया, लेकिन इसके पुस्त पर नक्शा बनाते समय सरेण्डरनामे के नक्शे व आदेश के विपरित खसरा नम्बर 612 (पुराने) के पश्चिम मे रास्ता कायम नही कर उत्तर मे रास्ता कायम कर दिया जाना है जो बिना किसी आधार के किया गया है खसरा नम्बर 612 व 610 मिन के नये नम्बर 826 है नामान्तरणकरण के समय मे नक्शे मे जो गलती की गयी है वह आगे भी राजस्व कर्मचारियों ने सेटलमेन्ट के समय भी गलती को दोहराया जाना दस्तावेजो से प्रतीत हो रहा है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने से स्पष्ट रूप से प्रतित होता है कि राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण खसरा नम्बर 826 के पश्चिमी सींव पर 10 X 3 गट्ठा रास्ता नक्शे मे दर्ज नही किया गया है और इस खसरे के उत्तर मे रास्ता गलत दर्ज किया है जिसे नक्शा नजरी ट्रेस परिशिष्ठ (ब) मे X से Y दर्शित किया गया है इस गलत दर्ज किये गये रास्ते को ट्रेस नक्शे मे दुरूस्त कर हटाया जाना उचित है एवं खसरा नम्बर 826 के पश्चिमी सींव पर 10 X 3 गट्ठा रास्ता दर्ज किया जाना उचित है एवं खसरा नम्बर 826 के पश्चिमी सींव पर 10 X 3 गट्ठा रास्ता कायम नही किये जाने के कारण खसरा नम्बर 612 पुराने जिसके नये खसरा नम्बर 826 की उत्तरी सींव पश्चिमी दिशा मे 11 मीटर

14/2/2020
उप खण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

Scanned by CamScanner

व उत्तरी सींव पूर्व दिशा मे 3 मीटर उत्तर की तरफ बढ़ा कर ट्रेस नक्शा कायम किये जाने का बिन्दु प्रार्थी ने उठाया है इस सम्बन्ध मे वर्तमान ट्रेस नक्शा के अवलोकन करने से स्पष्ट रूप से प्रतित हो रहा है कि पुराना नक्शा जो प्रार्थी ने पासबुक पेश की है उसकी सीमा के अनुसार नये नक्शे की उत्तरी सीमा कायम नही की गयी है जिसके अनुसार नक्शे मे शुद्धिकरण किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत होता है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित होने से इस प्रकार से स्वीकार किया जाता हैं कि तहसीलदार परबतसर द्वारा प्रस्तुत जबाब के साथ संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ठ (ब) में दर्शित नजरी नक्शे में मार्क X से Y स्थान पर दर्शित उत्तरी रास्ता का राजस्व रिकार्ड व नक्शे में शुद्धिकरण करे एवं उक्त परिशिष्ठ (ब) मे दर्शित मार्क 1, 2, 3, 4 स्थान जो खसरा नम्बर 826 की पश्चिमी सींव है के अनुसार रास्ता कायम करें तथा परिशिष्ठ (ब) में नजरी नक्शा मे मार्क 4 से 3 पर 11 मीटर सीमा उत्तरी तरफ व मार्क 6 से 5 पर 3 मीटर सीमा उत्तरी तरफ ट्रेस नक्शे मे शुद्धिकरण करके कायम की जावे। तहसीलदार परबतसर के जबाब के साथ प्रस्तुत परिशिष्ठ (ब) इस आदेश का पार्ट रहेगा। तहसीलदार को तहरीर जारी हो। यह आदेश आज दिनांक 14.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/2/2020

(मुकेश कुमार ...)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उप खण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

Scanned by CamScanner